

फैक्स/ई-मेल/
विशेष दूत

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7 सरदार पटेल मार्ग (मैंगलस रोड) बिहार पटना-800015

दूरभाष सं०- 0612-2217956
फैक्स- 0612-2215611/2215978
ई-मेल-cco_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: ई2-2-96/2019

पटना, दिनांक

दिसम्बर, 2019 ई०।

जनवरी 2020

प्रेषक

आलोक कुमार,
उप सचिव।।

सेवा में

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- श्री भोला राम (बि०नि०से०), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर, जो दिनांक 31.01.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले है, को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले है, को शतप्रतिशत पेंशन, उपादान एवं पेंशन की राशि का 40% पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री भोला राम (बि०नि०से०), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर, जो दिनांक 31.01.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले है, को शतप्रतिशत पेंशन, उपादान एवं पेंशन की राशि का 40% पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री भोला राम (बि०नि०से०), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का दीर्घकालीन अग्रिम यथा-गृह निर्माण अग्रिम, मोटरकार अग्रिम, विवाह एवं विविध अग्रिम का महालेखाकार, बिहार द्वारा निर्गत मांग रहित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा निर्गत बकाया रहित प्रमाण-पत्र तथा पेंशन स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन तीन प्रतियों में (मूल में) एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में श्री भोला राम (बि०नि०से०), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पक्ष में शतप्रतिशत पेंशन, उपादान एवं पेंशन की राशि का 40% पेंशन रूपान्तरण का प्राधिकार पत्र अविलम्ब निर्गत करने की कृपा की जाये।

अनु०:-1. पेंशन हेतु आवेदन तीन प्रतियों में (मूल में)।

2. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र।

3. दीर्घकालीन अग्रिम का मांग रहित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

4. आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से निर्गत बकाया रहित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आलोक कुमार)

उप सचिव।

जनवरी 2020

ज्ञापांक: 49

पटना, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को उनके पत्रांक 1122 दिनांक 16.12.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक कुमार)

उप सचिव।

6.1.2020